

पत्रांक—मु0 अ0—4 (मु0)—रा0यो0—03—409 / 2018 4506

/ पटना, दिनांक—०४/१०/१८

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प०स०
विशेष सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी के क्षेत्राधीन बाजपट्टी प्रखंड अन्तर्गत मधुबन बसहा पश्चिम के ग्राम नरहरपुर के धोबी घाट पर पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 34.22 मी० निर्माण हेतु रु० 313.38 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० 3.71 लाख अर्थात् कुल 317.09 लाख रुपये (तीन करोड़ सतरह लाख नौ हजार रु०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—उप शीर्ष—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण संपोषित योजना)—उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी के क्षेत्राधीन बाजपट्टी प्रखंड अन्तर्गत मधुबन बसहा पश्चिम के ग्राम नरहरपुर के धोबी घाट पर पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 34.22 मी० निर्माण हेतु रु० 313.38 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० 3.71 लाख अर्थात् कुल 317.09 लाख रुपये (तीन करोड़ सतरह लाख नौ हजार रु०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावेदिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37—4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सीतामढ़ी एवं मुख्य अभियंता—3, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी यह सुनिश्चित करेगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या—मु०अ०—४ (मु०)—नाबाड़—०३—१९८ / 2014 में किया गया है।

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0— मु0 अ0-4 (मु0) रा0यो0 03-409/2018 के पृ० सं0-03/टि० पर दिनांक—08.09.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक—30.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0— मु0 अ0-4 (मु0) रा0यो0-03-409/2018 के पृष्ठ संख्या— 7/टि० पर दिनांक—27.9.18 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्णविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पुपरी से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक—770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबाड़ से RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबाड़ को भेजी जाये।

विशेष सचिव
29/9/18

(संजय कुमार)
विशेष सचिव

/पटना, दिनांक—04/10/18

ज्ञापांक मु0 अ0-4 (मु0)—रा0यो0-03-409/2018 4506

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
/पटना, दिनांक—04/10/18

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर, BRRDA, /मुख्य अभियंता-3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0-4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, पुपरी/मुख्य महाप्रबंधक नाबाड़, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्प्लेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव